6/25

आज पत्रावली अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र पर पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 023 R 1,3 पक्ष आशय का पेश किया गया। प्रकरण में लोक अदालत की भावना के पक्षकारान में राजीनामा हो गया है कोई विवाद अवशेष नहीं रहा है अतः दावा इसी तौर पर खारिज किया जावे। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये दावा खारिज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
खाकी (धौलपुर) राज.